

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3456(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, 18, कॉलेज रोड, चेन्नई-600006” द्वारा “मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा तथा अस्पताल का संचालन” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2004-05 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 4 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1408(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 को शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 847 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2892(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1966(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27 दिसंबर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2892(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 28 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 32.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये कर दिया था;

और जबकि कार्पस निधि को 52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 108.07 करोड़ रुपये किए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत कार्पस निधि को 52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 108.07 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन, 18,

कॉलेज रोड, चेन्नई-600006” द्वारा चलायी जा रही “मुफ्त नेत्र शल्य चिकित्सा तथा अस्पताल का संचालन” दिनांक 7 जनवरी, 2004 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 11 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में “52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 68.07 करोड़ रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों को “52.00 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 108.07 करोड़ रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 282/2015/फा. सं. वी-27015/4/2015-एस ओ (रा. स.)]

मन्मथ लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)